



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251663
CG-DL-E-31012024-251663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 346]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2024

का.आ. 367(अ).—निम्नलिखित 'प्रारूप अधिसूचना', जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हेतु विनियम लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथा आवश्यक और उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाली जनता और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है और, एतद्वारा, यह भी नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा उस तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इसे प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को निर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप से डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: sohsmd-mef@gov.in पर ऐसा कर सकता है।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा 1, उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा 2 के खंड (ख), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों को प्रारूप प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 कहा जा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोजन. - (1) ये नियम इन पर लागू होंगे, - (i) उत्पादक, उपभोक्ता, वाहनों के परीक्षण, प्रयोग- अवधि-समाप्ति वाले वाहनों के हैंडलिंग, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में संलग्न निकाय, किंतु इन पर लागू नहीं होंगे:

क. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत आने वाली अपशिष्ट बैटरियाँ;

ख. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग;

ग. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2022 के तहत आने वाले अपशिष्ट टायर;

घ. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2023 के तहत आने वाले प्रयुक्त तेल।

ङ. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत आने वाले ई-अपशिष्ट।

(ii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) के अनुसार सभी प्रकार के वाहन।

3. परिभाषाएँ. - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) से है;

(ख) "स्वचालित परीक्षण स्टेशन" का अभिप्राय किसी भी स्वचालित परीक्षण केन्द्र से है, जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित किया गया है;

(ग) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" का अभिप्राय है जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है;

(घ) "जमा प्रमाणपत्र" का अभिप्राय मोटर वाहन (वाहन स्कैपिंग केन्द्र के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 और उसके बाद के संशोधनों के तहत परिभाषित पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र से है;

(ङ) "संग्रह केंद्र" से अभिप्राय किसी ऐसे या क्षेत्र से है जिसका उपयोग मोटर वाहन (वाहन स्कैपिंग केन्द्र के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 और बाद के संशोधनों के तहत यथा परिभाषित प्रयोग- अवधि-समाप्ति वाले वाहनों को इकट्ठा करने और संगृहीत करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जा सकता है;

(च) "उपभोक्ता" का अभिप्राय वाहन के अंतिम उपयोगकर्ता से है;

(छ) "थोक उपभोक्ता" का अभिप्राय है 100 से अधिक वाहनों का स्वामित्व रखने वाला उपभोक्ता से है;

(ज) "निपटान" का अभिप्राय है कोई भी ऐसा कार्य जिसके फलस्वरूप पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण/नवीनीकरण नहीं होता है और जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक -रासायनिक और/या जैविक उपचार और/या सुरक्षित लैंडफिल में जमा करना शामिल होता है;

(झ) "पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन" का अभिप्राय है प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन का प्रबंधन, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके, जो प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन में निहित किसी भी पदार्थ से उत्पन्न हो सकता है;

(ञ) "प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन" का अभिप्राय है कोई ऐसा वाहन -

(i) जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं है; या

(ii) जिसे केंद्रीय मोटर वाहन (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 या केंद्रीय मोटर वाहन (आठवां संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट परीक्षण या पुनः परीक्षण के बाद स्वचालित परीक्षण केन्द्र द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है; या

(iii) जिसका पंजीकरण केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय IV के तहत रद्द कर दिया गया है; या

- (iv) जिसे किसी न्यायालय के आदेश के कारण पुराना घोषित कर दिया गया है; या
- (v) जिसे आग, क्षति, प्राकृतिक आपदा, दंगों या दुर्घटनाओं, या अन्यथा उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति के कारण वैध पंजीकृत मालिक द्वारा अनुपयुक्त वाहन के रूप में स्व-घोषित कर दिया गया है।
- (ट) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" का अभिप्राय प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए वाहनों के किसी भी उत्पादक का उत्तरदायित्व से है;
- (ठ) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पंजीकरण" का अभिप्राय है-विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए किसी उत्पादक का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकरण;
- (ड) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र" का अभिप्राय है-पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्पादक द्वारा खरीदा जा सकता है;
- (ढ) "केन्द्र" का अभिप्राय है ऐसा कोई भी स्थान जहां प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहनों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण/नवीनीकरण, निपटान से संबंधित प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है;
- (ण) "प्रपत्र" का अर्थ इन नियमों से जुड़े प्रपत्र हैं;
- (त) "परिसंकटमय अपशिष्ट" का अभिप्राय है खतरनाक अपशिष्ट, जैसा कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है।
- (थ) "विनिर्माता" का अभिप्राय है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अनुसार परिभाषित कोई व्यक्ति या इकाई या कंपनी, जिसमें वाहनों के निर्माण की सुविधाएं हैं;
- (द) "उत्पादक" का अभिप्राय है ऐसी इकाई जो निम्न के लिए घरेलू बाजार में संलग्न है:
- अपने ब्रांड के तहत वाहनों के निर्माण/असेंबली और बिक्री; या
 - अन्य उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित वाहनों की अपने ब्रांड के तहत बिक्री; या
 - वाहनों का आयात;
 - अपने स्वयं के ब्रांड के तहत न करके, 3 (द) (ii) में यथा परिभाषित उत्पादक को वाहनों का निर्माण/असेंबली और बिक्री।
- (ध) "पंजीकृत मालिक" का अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसके नाम पर कोई मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक, और ऐसे मोटर वाहन के संबंध में जो किराया-खरीद, समझौता, या पट्टे का समझौता या दृष्टिबंधक समझौता द्वारा लिया गया है, उस समझौते के तहत वाहन पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति;
- (न) "पुनर्चक्रणकर्ता" का अभिप्राय है प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहनों की सामग्री के पुनर्चक्रण में लगी इकाई ;
- (प) "नवीनीकरणकर्ता" का अभिप्राय है प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहनों की सामग्री के नवीनीकरण में लगी इकाई;
- (फ) "पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र" मोटर वाहन (वाहन स्कैपिंग केन्द्र के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 और तत्पश्चात किए गए संशोधनों के तहत यथा परिभाषित;
- (ब) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों से जुड़ी अनुसूची है;
- (भ) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" का अभिप्राय है जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति शामिल है ;
- (म) "भंडारण" का अभिप्राय है प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों का भंडारण;
- (य) "शोधन" का अभिप्राय है प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन प्रदूषण मुक्ति, विघटन, कतरनी, कतरन, पुनर्प्राप्ति या श्रेडर कचरे के निपटान की तैयारी के लिए सौंपे जाने के बाद कोई कार्यकलाप और प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहन और उसके घटकों की पुनर्प्राप्ति/पुनर्चक्रण या निपटान के लिए किया गया कोई अन्य कार्य;

(यक) "वाहन" का अभिप्राय है मोटर वाहन या वाहन -

(क) जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित किया गया है; और

(ख) ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक वाहन या बैटरी चालित वाहन ।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित है।

4. उत्पादक के उत्तरदायित्व - (1) यह उत्पादक का उत्तरदायित्व होगा कि, -

(i) अनुसूची I में निर्दिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए स्व-उपयोग में लाए गए वाहनों सहित घरेलू बाजार में उतारे गए वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की देयताओं को पूरा करे;

(ii) बाजार में उपलब्ध कराए गए वाहनों के लिए अनुसूची I में उल्लिखित प्रयोग-अवधि-समाप्ति वाले वाहनों के पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करे;

(iii) यदि, उत्पादक वाहनों का निर्माण या असेंबली कर रहा है और इसे अपने ब्रांड नाम से बाजार में नहीं ला रहा है, तो ऐसे उत्पादक को विनिर्माण/असेंबली के दौरान उत्पन्न प्रत्यक्ष उपभोक्ता-पूर्व अपशिष्ट, जो पहले से ही अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के अंतर्गत शामिल नहीं है, के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयताओं को पूरा करने की सीमा तक वाहन के उत्पादक के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा।

(iv) वाहनों के प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर उन्हें पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र या निर्दिष्ट संग्रह केंद्रों पर जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपाय करे;

(v) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को या तो अपने स्वयं के पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केन्द्र या पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा वाली किसी इकाई द्वारा तैयार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से पूरा करे;

(vi) किसी भी योजना जैसे वापसी खरीद योजना, जमा वापसी योजना या किसी अन्य योजना को लागू करे, और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य इकाई को नामित करे;

(vii) प्रपत्र 1(क) में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्पादक के रूप में एक बारगी पंजीकरण प्राप्त करे। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रपत्र 1(ख) में जारी किया जाएगा;

(viii) पिछले वित्तीय वर्ष में स्वयं उपयोग में आने वाले वाहनों सहित बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त इस्पात की संख्या, प्रकार और वजन के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी को प्रपत्र 1 (ग) में वार्षिक विवरणी 30 जून तक प्रस्तुत करे।

(ix) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयताओं की पूर्ति के संबंध में 30 जून तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करे;

(x) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चालू वर्ष के लिए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयताओं की उसी वर्ष 30 अप्रैल तक घोषणा करे;

(xi) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पंजीकरण में निहित जानकारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पंजीकरण में निर्दिष्ट वाहनों को बाजार में उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी स्थायी समाप्ति के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना;

(xii) उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के संचालन और प्रबंधन में शामिल किसी निकाय द्वारा इन नियमों के उल्लंघनों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में लाना;

(xiii) भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत यथा अधिसूचित एआईएस-219 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उपाय करना।

(2) विनिर्माता किसी अन्य संस्था के साथ संव्यवहार नहीं करेगा जिसका इन नियमों के तहत या ईपी अधिनियम के तहत अधिदेशित पंजीकरण नहीं किया गया है।

(3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों को पूरा करने के लिए, विनिर्माता स्वयं को संलग्न कर सकता है या किसी अन्य संस्था को अधिकृत कर सकता है। हालांकि, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करने का दायित्व विनिर्माता का रहेगा।

5. पंजीकृत मालिक के उत्तरदायित्व - (1) यह सुनिश्चित करना पंजीकृत मालिक की जिम्मेदारी होगी कि उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधित किए जाते हैं और पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र या नामित संग्रह केंद्र में जमा किए जाते हैं।

(2) पंजीकृत मालिक छह महीने से अधिक समय तक उस वाहन को नहीं रखेगा और लागू नियमों के अनुसार उसके उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन के रूप में घोषित होने के बाद जमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. थोक उपभोक्ता के उत्तरदायित्व- (1) थोक उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा,-

(i) पोर्टल पर पंजीकृत होना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों का प्रबंधन पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाता है और उन्हें पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र या नामित संग्रह केंद्र में जमा किया जाता है; और

(iii) वाहन बेड़े के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र में जमा किए गए उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों के बारे में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना।

(2) थोक उपभोक्ता वाहन को छह महीने से अधिक समय तक नहीं रखेगा और लागू नियमों के अनुसार उसके उपयोग अवधि समाप्ति होने वाले वाहन के रूप में घोषित होने के बाद जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

7. संग्रहण केंद्र के उत्तरदायित्व- (1) संग्रहण केंद्र उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों को एकत्र और संगृहीत करेगा और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र को भेजेगा।

(2) संग्रहण केंद्र पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपयोग अवधि समाप्ति होने वाले वाहनों को संभालेगा।

8. स्वचालित परीक्षण केंद्र के उत्तरदायित्व:- (1) स्वचालित परीक्षण केंद्र केंद्रीय मोटर वाहन (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्वचालित वाहन परीक्षण उपकरण के माध्यम से वाहन उपयुक्तता परीक्षण करेगा।

(2) स्वचालित परीक्षण केंद्र केंद्रीय मोटर वाहन (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्वचालित उपयुक्तता परीक्षण में विफल रहने पर किसी वाहन को उपयोग अवधि समाप्ति वाला वाहन घोषित करेगा।

(3) स्वचालित परीक्षण केंद्र परीक्षण किए गए वाहनों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा और डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल से लिंक करेगा।

9. पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र के उत्तरदायित्व- पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र.-

(1) इन केंद्रों के पास निम्नलिखित के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन सुविधा होगी;-

i. शोधन (तरल पदार्थ, गैसों, उत्प्रेरक, पारा युक्त भागों, बैटरी और खतरनाक कचरे को प्रदूषण-रहित बनाना, संग्रह करना);

ii. विघटन (विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का पृथक्करण करना और अलग-अलग रखना);

iii. अलग-अलग कूड़ेदानों में विभिन्न श्रेणियों के कचरे का सुरक्षित संग्रहण;

(iv) सामग्रियों (प्लास्टिक, धातु, टायर, बैटरी और ई-कचरा) का स्वयं द्वारा अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीकरणकर्ताओं के माध्यम से पुनर्चक्रण/नवीनीकरण।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा;

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फॉर्म 2 (क) में आवेदन करेगा। पंजीकरण का प्रमाण पत्र फॉर्म 2 (ख) में जारी किया जाएगा;

(4) उपचार, प्रदूषण रहित बनाने, विघटन, पृथक्करण और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण गतिविधियों को करने के लिए अनुपयुक्त वाहन या पुराने वाहन प्राप्त करेगा;

- (5) पुनर्चक्रण/नवीनीकरण सुविधा न होने की स्थिति में उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों से प्राप्त और अलग की गई सामग्रियों को पुर्जो या सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीकरणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं को भेजेगा;
- (6) सभी गैर-पुनर्चक्रणीय/ गैर-नवीनीकरणीय सामग्री और रिकवर न किए जाने योग्य खतरनाक सामग्री को साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्र में भेजेगा;
- (7) खतरनाक और गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकरणीय सामग्रियों को साझा खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान केंद्र को सौंपेगा;
- (8) उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों से इस्पात की मात्रा के आधार पर इन वाहनों के प्रसंस्करण के उपरांत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र तैयार करेगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपलोड करेगा;
- (9) उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों की प्राप्ति, इनसे उत्पन्न सामग्री और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीनीकरणकर्ताओं या शोधन केंद्रों और निपटान केंद्रों को सौंपी गई विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्री के वजन का रिकॉर्ड रखेगा;
- (10) पिछली तिमाही के अगले महीने की 30 तारीख तक प्राप्त उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों के भार और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की गई या पुनर्चक्रण/नवीनीकरण, प्रसंस्करण हेतु साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्रों को भेजी गई सामग्रियों के वजन (श्रेणी-वार) के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रपत्र-3 में तिमाही विवरणी दाखिल करेगा और रिकार्ड रखेगा।

10. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करना – (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र के पक्ष में तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र को सत्यापित और प्रमाणित करेगा।

- (2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र मोटर वाहन (वाहन स्कैपिंग केंद्र के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अनुसार पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र प्रसंस्कृत उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों से प्राप्त इस्पात या पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा पर संसाधित अन्य स्टील स्कैप सामग्री के वजन के आधार पर तैयार किया जाएगा।
- (3) ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र विनिर्माताओं द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।
- (4) पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा:

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (किग्रा में) = आरवीएसएफ पर उत्पन्न इस्पात स्कैप का भार (किग्रा में)

परन्तु कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र अन्य सभी उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन सामग्रियों के पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लेखांकन और उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन के कुल वजन में से रिकवर न करने योग्य/गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकरणीय खतरनाक सामग्रियों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ढंग से निपटान की शर्त पर तैयार किए जाएंगे।

- (5) कोई विनिर्माता विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र अपनी चालू वर्ष की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों की कोई शेष देयता और चालू वर्ष की देयता के बीस प्रतिशत की सीमा तक खरीद सकता है।
- (6) विनिर्माता द्वारा खरीदे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों को उनकी देयता के लिए स्वतः समायोजित किया जाएगा।

- i. समायोजन में प्राथमिकता पूर्व की देयता को दी जाएगी।
- ii. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए विनिर्माता द्वारा उपयोग किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को फिर से आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।

iii. विनिर्माता द्वारा खरीदे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों को किसी अन्य विनिर्माता को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(7) ऐसे सभी लेनदेन पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्रों द्वारा तिमाही विवरणी दाखिल करने के समय ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र विनिर्माता के दायित्वों को पूरा करने के लिए पंद्रह साल की अवधि के लिए वैध होंगे।

11. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व:- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विनिर्माता का पंजीकरण (एक बार) करेगा।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजीकरण और विवरणी के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने हेतु शुल्क निर्धारित कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीकृत ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल को विकसित एवं अनुरक्षित करेगा तथा केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिकवर किए गए इस्पात की मात्रा के आधार पर पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र के पक्ष में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र तैयार करेगा।

(5) अनुसूची-1 के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पंजीकरण को निलंबित और/या रद्द करेगा, और/या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करेगा।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक कि इन नियमों के अधीन अन्यथा निलम्बित और/या रद्द न किया जाए, तब तक पंजीकरण किया जाए और यदि आपत्ति न की जाए तो इसे दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाए।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी नामित एजेंसी के जरिए निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा के माध्यम से विनिर्माता द्वारा अनुपालन का सत्यापन करेगा।

(9) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संपरीक्षा दायित्वों सहित इन नियमों के तहत उल्लंघनों के लिए और दायित्वों को पूरा न करने के लिए नियम 13 के अनुसार कार्रवाई होगी। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ संचालन करने वाली संस्था के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने का निदेश दे सकता है।

(10) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन स्वयं या पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र की नामित एजेंसी द्वारा माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से जानकारी का उपयोग करने सहित डेटा की संपरीक्षा करेगा।

(11) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकृत कंपनी द्वारा इन नियमों के उल्लंघन के मामले में विनिर्माता के पंजीकरण को निलंबित और/या रद्द करेगा और/या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करेगा।

(12) विनिर्माता के पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपील की जाएगी और अपील प्रस्तुत करने के पैंतालीस दिनों के भीतर उसका निपटान कर दिया जाएगा।

(13) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी को अपीलिय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। अपीलकर्ता द्वारा नामित अपीलिय प्राधिकारी को आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में और उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रति के साथ अपील की जाएगी।

(14) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजीकरण के निलंबन और/या रद्द करने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विरुद्ध पंजीकृत वाहन स्कैपिंग केंद्र द्वारा की गई अपील को अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर निपटाएगा।

- (15) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव को अपीलवीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। अपीलकर्ता द्वारा आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर नामित अपीलवीय प्राधिकारी को लिखित रूप में अपील की जाएगी और इसके साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।
- (16) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों की सामग्रियों के हथालन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण/पुनर्नवीनीकरण के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।
- (17) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के तहत दायित्वों को पूरा न करने के मामले में उत्पादकों और पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और इसे एकत्र करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार करेगा।
- (18) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रत्येक वर्ष प्राप्त आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करेगा।
- (19) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन उत्पादकों की सूची प्रकाशित करेगा जो वार्षिक आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- (20) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्यों और वार्षिक विवरणियों को साझा करेगा।
- (21) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादक द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों की घोषणा के लिए प्रपत्र निर्धारित करेगा।
- (22) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादक द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के संबंध में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करेगा।
- (23) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के भीतर प्ररूपों को अपेक्षानुसार संशोधित करेगा और जहां यह निर्धारित नहीं है वहां प्ररूप निर्धारित करेगा।
- (24) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के तहत दायित्वों को पूरा करने में हितधारकों के बीच नियमित रूप से संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र स्थापित करेगा।
- (25) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम 15 के अनुसार एक कार्यान्वयन समिति का गठन करेगी और इसे सशक्त बनाने की सिफारिशें करेगी। यह समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- (26) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
- (27) प्रत्यायित अभिकरण के माध्यम से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद के लिए एक या अधिक व्यापार मंच स्थापित किया जा सकता है।
- (28) बाध्य संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए उप-नियम 27 के तहत स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (प्लेटफार्मों) का प्रचालन और विनियमन, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।
- (29) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के संग्रहण और पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन की लागत और लागू पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छह महीने में या आवश्यकतानुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य नियत करेगा।

12. राज्य सरकार/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व –

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत पोर्टल में पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा का एक बारगी ऑनलाइन पंजीकरण करेगा।
- (2) यदि पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद नियम 13 के तहत नियत की गई कार्रवाई सहित उक्त सुविधा के पंजीकरण को पांच वर्ष की अवधि तक निलंबित और/या रद्द करेगा।

- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा द्वारा प्रस्तुत की गई त्रैमासिक रिपोर्टों को संकलित करेगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा और उन्हें ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के तहत दायित्वों की पूर्ति में शामिल संबंधित हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।
- (5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या कोई नामित अभिकरण, निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा द्वारा अनुपालन को सत्यापित करेगा और इन नियमों के उल्लंघन के मामले में पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के पंजीकरण को निलंबित और/या रद्द करेगा और/या उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएगा।
- (7) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों में पर्याप्त संख्या में पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधाएं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन एक समान तरीके से स्थापित किए जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
- (8) उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों को पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा या नामित संग्रह केंद्र में सुरक्षित तरीके से पहचाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना और ग्राहकों को प्रोत्साहन देना।

13. उल्लंघन पर कार्रवाई और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाना –

- (1) इन नियमों के निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, अर्थात्:
- निर्धारित ईपीआर लक्ष्यों को पूरा नहीं करने के लिए;
 - इन नियमों के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार पंजीकरण के बिना कार्यकलाप करने के लिए;
 - इन नियमों के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने/जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए;
 - इन नियमों के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा जाली/हेरा-फेरी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए;
 - पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा या अन्य संस्थाओं के मामले में उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हथालन/प्रबंधन का अनुपालन नहीं करने के लिए।
- (2) इकाई द्वारा इकाई द्वारा स्वयं नियमों से बचने या इनका उल्लंघन करने या किसी भी बाध्य इकाई को दायित्वों से बचने या उल्लंघन करने में मदद देने के मामले में इनके संबंध में सुनवाई का अवसर देने के बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के उपबंधों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
- (3) इन नियमों में निर्धारित अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में प्रचालन करने वाले उत्पादक पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।
- (4) इन नियमों के तहत निर्धारित अपने उत्तरदायित्वों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में प्रचालित पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साठ दिनों में कार्रवाई न करने के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश जारी करेगा।
- (5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से इन नियमों के तहत निर्धारित निर्माता का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व समाप्त नहीं होगा।
- किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व को उससे अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए अगले वर्ष में बढ़ाया जाएगा।
 - बाद के वर्षों में तीन वर्षों के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व की कमी का निराकरण किए जाने के मामले में उत्पादक को नीचे दिए गए अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वापस की जाएगी, –
- क. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के एक वर्ष के भीतर : 75 प्रतिशत वापसी;

ख. दो वर्ष के भीतर : 60 फीसदी वापसी;

ग. तीन वर्ष के भीतर : 40 फीसदी वापसी

(6) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के देय होने के तीन वर्ष पूरा होने के बाद, संपूर्ण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जब्त कर ली जाएगी और इस व्यवस्था से बाद के वर्षों में भी संबंधित संस्थाओं द्वारा उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों की सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनर्नवीनीकरण की अनुमति होगी।

(7) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत एकत्र की गई निधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा।

(i) एकत्र की गई निधियों का उपयोग, असंग्रहीत उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों, जिनके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाया गया है, के संग्रहण और पुनर्चक्रण में किया जाएगा।

(ii) उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग की कार्यरितियों को कार्यान्वयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(8) इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के उपबंधों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

14. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल – (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के लागू होने के छह माह के भीतर उत्पादकों द्वारा पंजीकरण और विवरणियां दाखिल करने और पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के पंजीकरण और उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के साथ-साथ सभी संस्थाओं के सभी दायित्वों के संबंध में विवरणियां भरने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करेगा।

(2) इस प्रणाली से ऐसा कार्यतंत्र सुनिश्चित होगा जिसमें उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों की प्राप्ति के सामग्री शेष और पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा द्वारा उत्सर्जित विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्रियां प्रदर्शित होंगी।

(3) यह पोर्टल, उत्पादकों और आरवीएसएफ को उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के पंजीकरण और आरवीएसएफ द्वारा विवरणियां दाखिल करने के लिए इस केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेगा।

(5) यह केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।

(6) उत्पादक, इस ऑनलाइन पोर्टल के विकास को सुविधाजनक बनाएंगे।

15. कार्यान्वयन समिति. – (1) केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) यह समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

(3) यह समिति इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करेगी और संशोधन, यदि कोई हो, के प्रस्तावों की सिफारिश करेगी।

(4) इस समिति को इस ऑनलाइन पोर्टल के विकास और प्रचालन संबंधी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा।

(5) समिति द्वारा इन नियमों से संबद्ध प्ररूपों में कोई भी संशोधन किया जा सकता है।

(6) इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, एआरएआई जैसे संगठनों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधियों तथा उत्पादकों एवं पुनर्चक्रणकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी अन्य हितधारक शामिल होंगे।

अनुसूची I

[नियम 4(1)(i) देखें]

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य – (i) इन नियमों के प्रकाशन के उपरांत, बाद के वर्षों में यदि कोई नया विनिर्माता बाजार में वाहनों को लाता है, तो वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य, वाहन की उक्त के लिए नीचे दी गई तालिकाओं में उल्लिखित औसतन उपयोग अवधि के आधार पर लागू होंगे।

(ii) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों में संबंधित वर्षों के पुनर्चक्रण लक्ष्य शामिल हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिकाओं में उल्लिखित है।

(iii) वाहनों की समयावधि समाप्त होने के बाद उनके पुनर्चक्रण का अर्थ है समयावधि समाप्त हुए वाहनों में से बचे हुए स्टील का पुनर्चक्रण।

(iv) बैटरी संबंधी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में दिए गए अनुसार होंगे।

(v) टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2022 में दिए गए अनुसार होंगे।

(vi) प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2023 में दिए गए अनुसार होंगे।

(vii) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य वाहन की श्रेणी (निजी वाहन और वाणिज्यिक वाहन) के लिए विशिष्ट होंगे।

(viii) केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्माता अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत दायित्वों को पूरा करेगा। पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधाओं के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के मामले में, उत्पादक के पास एकत्रण की जिम्मेदारी भी होगी।

(ix) निजी वाहनों के लिए :

अनुपालन चक्र	ईपीआर लक्ष्य वर्ष (X ^{वें} वर्ष)	X ^{वें} वर्ष में ईपीआर लक्ष्य	(X+1) ^{वें} वर्ष (दूसरे वर्ष) से (X+14) ^{वें} वर्ष (15 ^{वें} वर्ष) तक वार्षिक ईपीआर लक्ष्य
वर्ष 2025-26 से 2039-40 तक (15 वर्ष)	2025-26	वर्ष 2005-06 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 10%	वर्ष 2005-06 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%
	2026-27	वर्ष 2006-07 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 10%	वर्ष 2006-07 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%
	2027-28	वर्ष 2007-08 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 10%	वर्ष 2007-08 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%
	2028-29	वर्ष 2008-09 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 10%	वर्ष 2008-09 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%
	2029-30	वर्ष 2009-10 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 10%	वर्ष 2009-10 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%
	2030-31	वर्ष 2010-11 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 20%	वर्ष 2010-11 (X-20) ^{वें} वर्ष में बाजार में लाए गए वाहनों में प्रयुक्त स्टील का न्यूनतम 3%

प्रपत्र 1 (क)

(नियम 4(1)(vii) देखें)

[विनिर्माता के रूप में एक बार पंजीकरण हेतु आवेदन का जमा किया जाना]

1	विनिर्माता का नाम	
2	विनिर्माता का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण	
3	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर एवं मोबाइल नंबर सहित पूर्ण पता	
4	जीएसटी नंबर	
5	टीआईएन सं.	

सामान्य नियम और शर्तें :

i. पंजीकृत इकाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करेगी;

स्थान :

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र 1 (ख)

(नियम 4(1)(vii) देखें)

[केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्माता का एक बार के लिए पंजीकरण किए जाने हेतु प्रारूप]

संदर्भ : पंजीकरण के लिए आपकी आवेदन संख्या

दिनांक :

पंजीकरण संख्या :

मैसर्स को उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहन (प्रबंधन) नियम, 2023 के प्रावधानों की तर्ज पर उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के विनिर्माता के रूप में एक बार के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाता है। उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 के प्रावधान (ओं) का किसी भी प्रकार का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दण्डात्मक प्रावधान को आमंत्रित करेगा।

(सदस्य सचिव)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र 1 (ग)

(नियम 4(1)(viii) देखें)

[विनिर्माता द्वारा सीपीसीबी को वार्षिक रिटर्न भरने का प्रारूप]

1	विनिर्माता का नाम	
2	विनिर्माता का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण	
3	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूर्ण पता	
4	जीएसटी नंबर	
5	टीआईएन सं.	

बाजार में उपलब्ध वाहनों के प्रकार, ब्रांड नाम, संख्या और वजन निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	प्रकार	ब्रांड का नाम	वाहनों की संख्या	वाहनों में स्टील का वजन
1	दुपहिया (निजी)			
2	तीन पहिया (निजी)			
3	चौपहिया (निजी)			
4	दुपहिया (व्यावसायिक)			
5	तीन पहिया (व्यावसायिक)			
6	चौपहिया (व्यावसायिक)			

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

प्रारूप 2 (ग)
(नियम 9(3) देखें)

[एक-बार के पंजीकरण के लिए पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के लिए जमा किया जाने वाला आवेदन]

पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा का नाम	
पंजीकृत पता और वेबसाइटपता फ़ोन नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल)	
ईमेल आईडी अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम अधिकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) की ईमेल आईडी	
अधिकृत व्यक्ति(ओं) के मोबाइल नंबर जीएसटी नंबर	
सहमति की वैधता तिथि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन नियम, 2016) के नियम 6 के तहत प्राधिकरण की वैधता	क. वायु अधिनियम, 1981 के तहत, ----- तक वैध है ख. जल अधिनियम, 1974 के तहत ----- तक वैध है ----- तक वैध
जिला उद्योग केन्द्र से पंजीयन के प्रमाणीकरण की वैधता इकाई में पुनर्चक्रित/नवीनीकरण किए गए /पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण के लिए पंजीकृत संस्थाओं को भेजे गए अपशिष्ट की श्रेणियों का विवरण वाहनों में पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा की क्षमता	----- तक वैध क. स्थापित ख. परिचालन (विगत तीन वर्षों का विवरण)

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रारूप 2 (ख)
(नियम 9(3) देखें)

[राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा को एक-बार का पंजीकरण देने का प्रारूप]

संदर्भ : पंजीकरण के लिए आपकी आवेदन संख्या
पंजीकरण संख्या :

दिनांक :

मैसर्स को उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 के तहत प्रावधानों की तर्ज पर उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहनों के पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के लिए एक बार का पंजीकरण प्रदान किया जाता है। उपयोग अवधि समाप्त हुए वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 के प्रावधान (ओं) का किसी भी प्रकार का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दण्डात्मक प्रावधान को आमंत्रित करेगा।

(सदस्य सचिव)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिनांक :
स्थान :

प्रपत्र (3)
(नियम 9(10) देखें)

[अगले वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न]

- पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा का नाम :
- पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण :
- प्राधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ पूरा पता :
- जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उसके दौरान प्राप्त और स्कैप किए गए वाहनों की संख्या का विवरण :

क्र.सं.	प्रकार	प्राप्त किए गए उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों की संख्या	स्कैप किए गए उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहनों की संख्या	स्कैप किए गए वाहनों का कुल वजन	उत्पन्न स्टील स्कैप का कुल वजन
1	दुपहिया (निजी)				
2	दुपहिया (व्यावसायिक)				
3	तीनपहिया (निजी)				
4	तीनपहिया (व्यावसायिक)				
5	चौपहिया (निजी)				
6	चौपहिया (व्यावसायिक)				

- उत्पन्न विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का विवरण और संख्या :

- जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष में पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजी गई बरामद और पुनर्चक्रण करने योग्य/नवीकरणीय सामग्री का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं के नाम
1	बरामद बेकार टायरों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया		
2	बरामद ई-अपशिष्ट को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया		
3	बरामद बैटरी अपशिष्ट को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया		
4	बरामद प्लास्टिक कचरे को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया		
5	बरामद प्रयुक्त तेल को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया		
6	अन्य बरामद सामग्री		

7. जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उसके दौरान सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा को भेजी गई खतरनाक और गैर-पुनर्चक्रण योग्य/गैर-नवीकरणीय सामग्रियों का विवरण :

विवरण	मात्रा सहित विवरण	पंजीकृत सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा का नाम
खतरनाक सामग्री बरामद की गई		

स्थान :

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

[फा. सं. 23/55/2021-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 367(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for bringing out regulations for Extended Producer Responsibility (EPR) for End-of-Life Vehicles, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003 or electronically at email address: sohsm-d-mef@gov.in.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section 2 of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Draft End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – (1) These rules shall apply to, –(i) Producer, consumer, entities involved testing of vehicles, handling, processing and recycling of End-of life Vehicles, but shall not apply to:

- a. waste batteries as covered under the Battery Waste Management Rules, 2022;
- b. packaging plastics as covered under the Plastic Waste Management Rules, 2016;
- c. waste tyres as covered under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022;
- d. used oil as covered under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2023.
- e. E-waste as covered under E-Waste (Management) Rules, 2022.

(ii) all types of vehicles as per clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

3. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

- (a) “**Act**” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) “**Automated Testing Station**” means any automated testing facility, as defined in the Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules, 2021 and amendments thereafter;
- (c) “**Central Pollution Control Board**” means the Central Pollution Control Board as constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (d) “**Certificate of Deposit**” means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility as defined under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and amendments thereafter;
- (e) “**Collection Centre**” means a facility or an area that may be used for the sole purpose of collecting and storing the End of Life Vehicles as defined under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and amendments thereafter;
- (f) “**consumer**” means end user of vehicle;
- (g) “**bulk consumer**” means consumer having ownership of more than 100 vehicles;
- (h) “**disposal**” means any operation which does not lead to reuse, recovery, recycling/refurbishing and inter-alia include physico-chemical and/or biological treatment and/or deposition in secured landfill;
- (i) “**environmentally sound management**” means management of End-of-Life Vehicle in a manner to protect human health and environment against any adverse effects, which may result from any substance contained in the End-of-Life Vehicle;
- (j) “**End-of-Life Vehicle**” means a vehicle,-
 - (i) which is no longer validly registered; or
 - (ii) which has been declared unfit by Automated Testing Station after undergoing test or re-test as specified under the provisions of the Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules, 2021 or Central Motor Vehicles (Eight Amendment) Rules, 2022; or
 - (iii) of which registration has been cancelled under Chapter IV of the Central Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (iv) declared as End-of-Life due to an order of a Court of Law; or
 - (v) which is self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances that may arise from fire, damage, natural disaster, riots or accidents, or otherwise.
- (k) “**Extended Producer Responsibility**” means responsibility of any Producer of vehicles for environmentally sound management of End-of-Life Vehicle;
- (l) “**Extended Producer Responsibility registration**” means registration by Central Pollution Control Board of a producer for Extended Producer Responsibility;

(m) “**Extended Producer Responsibility certificate**” means a certificate issued by Central Pollution Control Board for Registered Vehicle Scrapping Facility that may be purchased by producer to meet the Extended Producer Responsibility target;

(n) “**facility**” means any location wherein the process incidental to the collection, storage, segregation, recycling/ refurbishing, disposal of End-of-Life Vehicles is carried out;

(o) “**form**” means Forms appended to these rules;

(p) “**hazardous waste**” means hazardous waste as defined under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(q) “**manufacturer**” means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) which has facilities for manufacturing of vehicles;

(r) “**producer**” means an entity who engages in domestic market for:

(i) manufacture/assembly and sale of vehicles under its own brand; or

(ii) sale of vehicles under its own brand produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) import of vehicles;

(iv) manufacture/assembly and sale of vehicles to producer defined in 3 (r) (ii), not under its own brand.

(s) “**registered owner**” means a person in whose name a motor vehicle stands registered, and where such person is a minor, the guardian of such minor, and in relation to a motor vehicle which is the subject of a hire-purchase, agreement, or an agreement of lease or an agreement of hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement;

(t) “**recycler**” means entity engaged in recycling of materials of End-of-Life Vehicles;

(u) “**refurbisher**” means entity engaged in refurbishing of materials of End-of-Life Vehicles;

(v) “**Registered Vehicle Scrapping Facility**” as defined under Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and amendments thereafter;

(w) “**Schedule**” means Schedule appended to these rules;

(x) “**State Pollution Control Board**” means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;

(y) “**storage**” means storage of End-of-Life Vehicles;

(z) “**treatment**” means any activity after the end of life vehicle has been handed over for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder wastes, and any other operation carried out for the recovery/recycling or disposal of the end of life vehicle and its components;

(za) “**vehicle**” means a motor vehicle or vehicle, -

(a) as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); and

(b) electric vehicles or battery operated vehicles including e-rikshaw and e-carts.

(2) Words and expressions not defined in these rules will have the same meaning as defined in the Environment (Protection) Act, 1986.

4. Responsibilities of producer – (1) It shall be the responsibility of the producer to,-

(i) fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility for the vehicles that they introduce in the domestic market including vehicles put to self-use to ensure the recycling targets as specified in Schedule I;

(ii) meet the recycling targets of End-of-Life Vehicles as mentioned in Schedule I for vehicles made available in the market;

(iii) in case, the Producer is manufacturing or assembling vehicles and not placing it in the market in its own brand name, such Producer shall register themselves as the Producer of vehicle to the extent of meeting the Extended Producer Responsibility obligations for environmentally sound management of direct pre- consumer waste generated during manufacturing/assembly which is not already covered under other waste management policies.

(iv) take necessary measures to encourage End-of-Life Vehicles are deposited at the Registered Vehicle Scrapping Facility or designated Collection Centres;

(v) fulfil the Extended Producer Responsibility either through purchase of Extended Producer Responsibility certificate generated by its own Registered Vehicle Scrapping Facility or by any entity having Registered Vehicle Scrapping Facility;

(vi) deploy any schemes such as buy back scheme, deposit refund scheme or any other, and designate any other entity to fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility;

(vii) obtain one-time registration as a producer from Central Pollution Control Board in Form 1(A). The certificate of registration shall be issued in Form 1(B);

(viii) furnish annual returns in Form 1(C) to CPCB by 30th June for the previous financial year in respect of the information regarding number, type and weight of steel used in vehicles placed in the market including vehicles put to self-use in previous financial year;

(ix) furnish annual returns by 30th June in respect of fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations during the previous financial year, as per the form prescribed by Central Pollution Control Board;

(xi) declare their Extended Producer Responsibility obligations for the current year by 30th April of the same year as per the form prescribed by Central Pollution Control Board;

(xi) inform the Central Pollution Control Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility Registration and of any permanent cessation as regards to the making available on the market of the vehicles referred to in the Extended Producer Responsibility Registration;

(xii) bring to the notice of the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board of violations of these rules by any entity involved in handling and management of End-of-Life Vehicles;

(xiii) take measures to comply with the provisions of AIS-219, as notified by the Government of India, under Centre Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) Producer shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules or under the EP Act.

(3) In order to meet the obligations of Extended Producer Responsibility, the producer may engage itself or authorize any other entity. However, the obligations of meeting the Extended Producer Responsibility targets shall remain with the producer.

5. Responsibilities of registered owner – (1) It shall be the responsibility of the registered owner to ensure that End-of-Life Vehicles are managed in an environmentally sound manner and deposited at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

(2) Registered owner shall not hold the vehicle for more than six months and shall produce Certificate of Deposit after its declaration as End-of-Life Vehicle as per the prevailing rules.

6. Responsibilities of bulk consumer- (1) It shall be the responsibility of the bulk consumer to,-

(i) get registered on the portal;

(ii) ensure that End-of-Life Vehicles are managed in an environmentally sound manner and deposited at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre; and

(iii) file annual returns about the vehicle fleet as well as the End-of-Life Vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facility.

(2) Bulk consumer shall not hold the vehicle for more than six months and shall produce Certificate of Deposit after its declaration as End-of-Life Vehicle as per the prevailing rules.

7. Responsibilities of Collection Centre- (1) Collection Centre shall collect and store End-of-Life Vehicles and send them for further processing to Registered Vehicle Scrapping Facility.

(2) Collection Centre shall handle the End-of-Life Vehicles in an environmentally sound manner.

8. Responsibilities of Automated Testing Station. – (1) Automated Testing Station shall conduct vehicle fitness testing through automated vehicle testing equipment in accordance with provisions of Central Motor Vehicles (Twenty First Amendment) Rules, 2021.

(2) Automated Testing Station shall declare a vehicle as End-of-Life Vehicle if it fails the automated fitness test in accordance with provisions of Central Motor Vehicles (Twenty First Amendment) Rules, 2021.

(3) Automated Testing Station shall maintain the record of number of vehicles tested and link the data to the centralised online portal by Central Pollution Control Board.

9. Responsibilities of Registered Vehicle Scrapping Facility.— Registered Vehicle Scrapping Facility shall.-

- (1) have environmentally sound management facility for;-
 - i. treatment (de-pollution, collection of liquids, gases, catalyst, mercury containing parts, batteries and hazardous waste);
 - ii. dismantling (segregation and separation of various types of wastes);
 - iii. safe storage of various categories of wastes in separate bins;
 - iv. recycling/refurbishing of materials (plastic, metals, tyres, batteries and e-waste) on its own or through authorized recyclers/refurbishers.
- (2) function in accordance with the guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;
- (3) make an application in Form 2(A) to obtain one-time registration from the concerned State Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued in Form 2(B);
- (4) receive unfit vehicles or end-of-life vehicles for carrying out treatment, depolluting, dismantling, segregation and recycling/refurbishing activities.
- (5) send all the recovered and segregated materials from End-of-life Vehicles to registered recyclers/refurbishers, co-processors for recycling and reuse of components or materials, in case of not having recycling/refurbishing facility,
- (6) send all non-recyclable/ non-refurbishable materials and non-recoverable hazardous materials to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility;
- (7) hand over the hazardous and non-recyclable/ non-refurbishable materials to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility;
- (8) generate Extended Producer Responsibility certificates upon processing of End-of-life vehicles based on the quantity of steel from the End-of-Life Vehicles and upload the data on online portal for verification by Central Pollution Control Board or its authorised agency;
- (9) maintain records of receipt of End-of-Vehicles, weight of various types of waste materials generated and handed over to authorized recyclers/refurbishers or treatment facilities and disposal facilities;
- (10) file quarterly returns to State Pollution Control Board in Form 3 on weight of End-of-Life Vehicles received and weight of materials (category-wise) recycled/refurbished or sent for recycling/refurbishing, processing, and Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities by 30th of the next month of the previous quarter, and keep a record.

10. Extended Producer Responsibility Certificate Generation. – (1) The Central Pollution Control Board shall verify and authenticate the Extended Producer Responsibility certificates through the online portal generated in favour of the Registered Vehicle Scrapping Facility.

- (2) Extended Producer Certificate shall be generated on basis of the weight of steel recovered from the End-of-Life vehicles processed at the Registered Vehicle Scrapping Facility or other steel scrap materials processed at Registered Vehicle Scrapping Facility in accordance with the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.
- (3) Extended Producer Responsibility certificates generated by Registered Vehicle Scrapping Facility can be purchased by Producers through the centralised online portal to meet the EPR obligations.
- (4) The following formula shall be used to estimate the Extended Producer Responsibility certificates for Registered Vehicle Scrapping Facility:

Extended Producer Responsibility certificates (in kg) = Weight of the steel scrap generated (in kg) at RVSF

Provided that the Extended Producer Responsibility certificate shall be generated subject to the accounting of recycling/refurbishing of all other End-of-Life Vehicles materials and environmentally sound disposal of non-recoverable/non-recyclable/non-refurbishable hazardous materials out of the total weight of the End-of-Life Vehicle.

- (5) A Producer can purchase Extended Producer Responsibility certificates limited to its Extended Producer Responsibility liability of current year plus any leftover liability of preceding years plus twenty percent of the current year liability.
- (6) Extended Producer Responsibility certificates purchased by the Producer will be automatically adjusted against their liability.
 - i. Priority in adjustment will be given to earlier liability.

- ii. Extended Producer Responsibility certificates used by producer to meet Extended Producer Responsibility obligations shall not be exchanged again.
- iii. Extended Producer Responsibility certificates purchased by the producer are not transferrable to any other producer.

(7) All such transactions shall be recorded and submitted by the Registered Vehicle Scrapping Facilities on the online portal at the time of filing quarterly returns.

(8) Extended Producer Responsibility certificates generated by Registered Vehicle Scrapping Facilities shall be valid for a period of fifteen years for meeting the obligations of producer.

11. Responsibilities of Central Pollution Control Board. – (1) Central Pollution Control Board shall register the producer (one-time) through the centralized online portal in Form within two weeks from the submission of a completed application.

(2) Central Pollution Control Board may determine the fee for processing of applications for registration as well as returns.

(3) Central Pollution Control Board shall develop and maintain the centralized online Extended Producer Responsibility portal and develop the mechanism for exchange of Extended Producer Responsibility certificates on the centralized online portal.

(4) Central Pollution Control Board shall generate Extended Producer Responsibility certificates in favour of Registered Vehicle Scrapping Facility based on the quantity of steel recovered.

(5) Central Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration, and/or impose Environmental Compensation, in case of non-compliance of Extended Producer Responsibility obligations as per Schedule I after giving reasonable opportunity of being heard.

(6) Central Pollution Control Board shall ensure that registration is done unless otherwise suspended and/or cancelled under these rules and deemed to be issued if not objected within two weeks.

(8) Central Pollution Control Board or through a designated agency shall verify compliance by the producer through inspection and periodic audit.

(9) The actions against violations and for non-fulfilment of obligations under these rules including Extended Producer Responsibility obligations shall be as per rule 13. In case of entity operating with a State or Union Territory, Central Pollution Control Board may, if required, direct State Pollution Control Board to take action.

(10) Central Pollution Control Board shall carry out audit of data, including using information from Goods and Services Tax Network portal, by itself or a designated agency of Registered Vehicle Scrapping Facility under these rules.

(11) Central Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration of producer, and/or impose Environmental Compensation in case of violation of these rules by the registered entity.

(12) Appeal made against the orders of Central Pollution Control Board regarding suspension or cancellation of registration of producer lies with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and will be disposed off within forty-five days after the submission of the appeal.

(13) The Joint Secretary or the officer equivalent in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be designated as an Appellate Authority. The appeal shall be made by the appellant to the designated Appellate Authority in writing and accompanied with a copy of the order appealed against within thirty days from the date of passing of the order.

(14) Central Pollution Control Board shall dispose off an appeal made by the Registered Vehicle Scrapping Facility against the order of State Pollution Control Board regarding suspension and /or cancellation of registration within thirty days of the receipt of appeal.

(15) The Member Secretary in the Central Pollution Control Board would be designated as an Appellate Authority. The appeal shall be made by the appellant to the designated Appellate Authority in writing and accompanied with a copy of the order appealed against within thirty days from the date of passing of the order.

(16) Central Pollution Control Board shall issue guidelines for environmentally sound management for handling, processing and recycling/ refurbishing of materials of End-of-Life Vehicles.

(17) Central Pollution Control Board shall prepare guidelines for imposition and collection of Environmental Compensation from producers and Registered Vehicle Scrapping Facility in case of non-fulfilment of obligations under these rules.

(18) Central Pollution Control Board shall compile and publish the data received every year from the State Pollution Control Boards.

(19) Central Pollution Control Board shall publish the list of producers who have failed to meet Extended Producer Responsibility targets and obligations on an annual basis.

(20) Central Pollution Control Board shall share the Extended Producer Responsibility targets and annual returns of producers.

(21) Central Pollution Control Board shall prescribe the format for declaration of Extended Producer Responsibility obligations by the producer.

(22) Central Pollution Control Board shall prescribe the format for furnishing annual returns in respect of meeting of Extended Producer Responsibility obligations by the producer.

(23) Central Pollution Control Board shall modify forms within these rules as required and prescribe forms where it is not prescribed.

(24) Central Pollution Control Board will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between stakeholders in the fulfilment of obligations under these rules.

(25) Central Government shall constitute an Implementation Committee as per rule 15 for the effective implementation of these rules and make recommendations for making it robust. The Committee shall meet, at least, once in six months to submit its report and recommendations to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(26) Central Pollution Control Board shall publish annual reports.

(27) One or more trading platform for sale and purchase of Extended Producer Responsibility certificates may be established through agency accredited and in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(28) The operation and regulation of electronic platform (s), so established under sub-rule 27 for trade of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities, shall be as per guidelines notified by the Central Government based on the recommendations of Central Pollution Control Board for the purpose.

(29) Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for Extended Producer Responsibility certificate every six month or as required, keeping in view the cost for collection and environmentally sound management of End-of-Life Vehicle and the environmental compensation regime in force.

12. Responsibilities of State Government / State Pollution Control Board. – (1) State Pollution Control Board shall carry out one-time registration of the Registered Vehicle Scrapping Facility online in the centralized portal.

(2) In case the information provided by Registered Vehicle Scrapping Facility is found to be false, the State Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration up to a period of five years, after giving reasonable opportunity of being heard including actions under rule 13.

(3) State Pollution Control Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by Registered Vehicle Scrapping Facility to Central Pollution Control Board and publish those online.

(4) State Pollution Control Board will ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.

(5) State Pollution Control Board shall submit annual report to Central Pollution Control Board by 30th June every year, regarding effective implementation of these rules.

(6) State Pollution Control Board or through a designated agency shall verify compliance by Registered Vehicle Scrapping Facility through inspection and periodic audit, and suspend and/or cancel the registration of Registered Vehicle Scrapping Facility, and/or impose Environmental Compensation in case of violation of these rules.

(7) State Government shall ensure that adequate number of Registered Vehicle Scrapping Facilities and Automated Testing Stations are established in the respective States in an even manner. Ministry of Road Transport and Highways may issue guidelines in this regard.

(8) Drive awareness campaigns & incentivization of customers to encourage safe deposition of End-of-Life Vehicles at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

13. Action on violations and imposition of Environmental Compensation. – (1) Environmental Compensation shall be levied for non-compliance of provisions of these rules, viz:

- i. for not meeting prescribed EPR targets;
- ii. for carrying out activities without registration as mandated under these rules;

- iii. for providing false information / wilful concealment of material facts by the entities registered under these rules;
 - iv. for submission of forged/manipulated documents by the entities registered under these rules;
 - v. for not following environmentally sound handling/management of End-of-Life Vehicles in case of Registered Vehicle Scrapping Facility or other entities.
- (2) These activities, may also be dealt with under the provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986, in case of evasion or violation either by entity itself or help abet any obligated entity evade or violate obligations, after giving an opportunity of being heard.
- (3) Environmental Compensation shall be levied by Central Pollution Control Board on producer operating with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations set out in these rules.
- (4) Environmental Compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on Registered Vehicle Scrapping Facility operating in their jurisdiction, with respect to non-fulfilment of their responsibilities and obligations set out under these rules. In case, the State Pollution Control Board does not take action in sixty days, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board.
- (5) Payment of Environmental Compensation shall not absolve producer of Extended Producer Responsibility obligation set out under these rules.
- (i) the unfulfilled Extended Producer Responsibility obligation for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years.
 - (ii) in case the shortfall of Extended Producer Responsibility obligation is addressed within subsequent years within three years, the Environmental Compensation levied shall be returned to the producer as given below, –
 - A. Within one year of levying of Environmental Compensation: 75 percent return;
 - B. Within two years: 60 percent return;
 - C. Within three years: 40 percent return.
- (6) After completion of three years after Environmental Compensation getting due, the entire Environmental Compensation amount shall be forfeited, this arrangement shall allow for recycling/refurbishment of materials of End-of-Life Vehicles by the concerned entities in later years as well.
- (7) The funds collected under Environmental Compensation shall be kept in a separate account by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board.
- (i) the funds collected shall be utilised in collection and recycling of uncollected End-of-Life Vehicles against which the Environmental Compensation is imposed.
 - (ii) modalities for utilisation of the funds for End-of-Life Vehicles management would be finalised by the Committee for Implementation.
- (8) Non-fulfilment of obligations set out under these guidelines will attract penal actions under the provisions of Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 14. Centralised Online Portal.** – (1) Central Pollution Control Board shall establish a centralised online portal for the registration and filing returns by producers, and for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and filing returns in respect of End- of-Life Vehicles as well as for all obligations of all entities, within six months of commencement of these rules.
- (2) The system shall ensure a mechanism wherein the material balance of the receipt of the End-of-Life Vehicles and the various types of waste materials generated by Registered Vehicle Scrapping Facility is reflected.
 - (3) The portal will facilitate producers and RVSFs to exchange Extended Producer Responsibility certificates for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations of producers.
 - (4) The State Pollution Control Board shall use the centralized online for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and filing of returns by RVSFs.
 - (5) The centralised online portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of these rules.
 - (6) Producer may facilitate the development of online portal.

15. Implementation Committee. – (1) A Committee shall be constituted by the Central Government under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of these rules.

- (2) The Committee shall monitor the implementation of these rules.
- (3) The Committee shall take measures for removal of difficulties & recommend proposals for amendments, if any, for effective implementation of these rules.
- (4) The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online portal.
- (5) Any modifications in the forms attached to these rules may be undertaken by the Committee.
- (6) The Committee shall comprise of representatives from Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Steel, Bureau of Indian Standards, Organisations such as ARAI, State Pollution Control Boards, National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as associations representing producers, recyclers, and any other stakeholder as invited by the chair of the Committee.

SCHEDULE I

[see rule 4 (1)(i)]

Targets for Extended Producer Responsibility. – (i) In case of a new producer introducing vehicle in the market in the subsequent years after the publication of these rules, the Extended Producer Responsibility targets shall be applicable for different categories of vehicle, based on the average life of the vehicle mentioned in the Tables below for the respective categories of vehicle.

- (ii) The Extended Producer Responsibility targets comprise of recycling targets of the respective years as mentioned in the Tables below.
- (iii) The recycling of End-of-Life Vehicles means recycling of steel from End-of-Life Vehicles.
- (iv) Extended Producer Responsibility targets for batteries will be as under Battery Waste Management Rules, 2022.
- (v) Extended Producer Responsibility for tyres will be as under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022.
- (vi) Extended Producer Responsibility for used oil will be as under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2023.
- (vii) Extended Producer Responsibility targets for the producer shall be specific to the category of vehicle (private vehicle and commercial vehicle).
- (viii) Producer shall meet their Extended Producer Responsibility obligations through the Extended Producer Responsibility certificates made available by Registered Vehicle Scrapping Facilities through centralized portal. In case of non-availability of Extended Producer Responsibility certificates with Registered Vehicle Scrapping Facilities, the producer shall have the responsibility of collection as well.

(ix) For private vehicles:

Compliance Cycle	EPR target year (X th year)	EPR target in X th year	Annual EPR target from (X+1) th year (2 nd year) to (X+14) th year (15 th year)
2025-26 till 2039-40 (15 years)	2025-26	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2005-06 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2005-06 (X-20) th year
	2026-27	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2006-07 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2006-07 (X-20) th year
	2027-28	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2007-08 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2007-08 (X-20) th year
	2028-29	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2008-09 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2008-09 (X-20) th year
	2029-30	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2009-10 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2009-10 (X-20) th year

	2030-31	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2010-11 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2010-11 (X-20) th year
	2031-32	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2011-12 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2011-12 (X-20) th year
	2032-33	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2012-13 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2012-13 (X-20) th year
	2033-34	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2013-14 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2013-14 (X-20) th year
	2034-35	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2014-15 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2014-15 (X-20) th year
	2035-36	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2015-16 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2015-16 (X-20) th year
	2036-37	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2016-17 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2016-17 (X-20) th year
	2037-38	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2017-18 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2017-18 (X-20) th year
	2038-39	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2018-19 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2018-19 (X-20) th year
	2039-40	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2019-20 (X-20) th year	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2019-20 (X-20) th year
2040-41 till 2054-55 and onwards	2040-41 and onwards	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2020-21 (X-20) th year, and onwards	Min 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2020-21 (X-20) th year

(x) For commercial vehicles:

Compliance Cycle	EPR target year (X th year)	EPR target in X th year	Annual EPR target from (X+1) th year (2 nd year) to (X+14) th year (15 th year)
2025-26 till 2039-40 (15 years)	2025-26	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2013-14 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2013-14 (X-12) th year
	2026-27	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2014-15 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2014-15 (X-12) th year
	2027-28	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2015-16 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2015-16 (X-12) th year
	2028-29	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2016-17 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2016-17 (X-12) th year
	2029-30	Min 10% of the steel used in vehicles placed in market in 2017-18 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2017-18 (X-12) th year
	2030-31	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2018-19 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2018-19 (X-12) th year
	2031-32	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2019-20 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2019-20 (X-12) th year

	2032-33	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2020-21 (X-12) th year	Min of 3% of the vehicles of the steel used in vehicles placed in market in 2020-21 (X-12) th year
	2033-34	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2021-22 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2021-22 (X-12) th year
	2034-35	Min 20% of the steel used in vehicles placed in market in 2022-23 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2022-23 (X-12) th year
	2035-36	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2023-24 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2023-24 (X-12) th year
	2036-37	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2024-25 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2024-25 (X-12) th year
	2037-38	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2025-26 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2025-26 (X-12) th year
	2038-39	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2026-27 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2026-27 (X-12) th year
	2039-40	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2027-28 (X-12) th year	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2027-28 (X-12) th year
2040-41 till 2054-55 and onwards	2040-41 and onwards	Min 30% of the steel used in vehicles placed in market in 2028-29 (X-12) th year, and onwards	Min of 3% of the steel used in vehicles placed in market in 2028-29 (X-12) th year

Form 1(A)

[see rule 4(1)(vii)]

[Application to be submitted for grant of one-time registration as a producer]

1	Name of producer	
2	Registered address of producer, website address and contact details	
3	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4	GST No.	
5	TIN No.	

General Terms and Conditions:

i. The registered entity shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under;

Place:

Date:

Signature of the authorised person

Form 1 (B)

[see rule 4(1)(vii)]

[Format for grant of one-time registration to producer by Central Pollution Control Board]

Ref.: Your application number for registration

Date: Registration No.:

M/s----- is hereby granted one-time registration as producer of End-of-Life Vehicles in line with provisions under End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2023. Any violation of the provision(s) of the End-of-

Life Vehicles (Management) Rules, 2024 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)
Central Pollution Control Board

Date: Place:

Form 1(C)
[see rule 4(1)(viii)]

[Format for filing annual returns to CPCB by the producer]

1	Name of producer	
2	Registered address of producer, website address and contact details	
3	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4	GST No.	
5	TIN No.	

Type(s) of vehicles placed in the market with brand name(s) along with the quantities in numbers and weight as per the Table given below:

SI No.	Type	Brand name	No. of vehicles	Weight of steel in the vehicles
1	2W (Private)			
2	3W (Private)			
3	4W (Private)			
4	2W (Commercial)			
5	3W (Commercial)			
6	4W (Commercial)			

Date:

Place:

Signature of the authorised person:

Form 2(A)
[see rule 9(3)]

[Application to be submitted by Registered Vehicle Scrapping Facility for grant of one-time registration]

	Name of the Registered Vehicle Scrapping Facility	
	Registered address and website address	
	Phone No. (landline and mobile)	
	Email ID	
	Authorised person(s) name	
	Authorised person(s) email ID	

	Authorised person(s) mobile number	
	GST Number	
	Consent Validity	a. Under Air Act, 1981, valid up to ----- b. Under Water Act, 1974, valid up to --
	Validity of authorisation under rule 6 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2016	Valid up to -----
	Validity of certification of registration with District Industries Centre	Valid up to -----
	Details of the categories of waste recycled/refurbished in the unit/sent to registered entities for reuse, recycling and refurbishing	
	Capacity of the Registered Vehicle Scrapping Facility in no. of vehicles	a. Installed b. Operating (details of last three years)

Place:

Date:

Signature of the authorised person

Form 2(B)

[see rule 9(3)]

[Format for grant of one-time registration to Registered Vehicle Scrapping Facility by State Pollution Control Boards]

Ref.: Your application number for registration

Date: Registration No.:

.....

M/s ----- is hereby granted one-time registration for Registered Vehicle Scrapping Facility of End-of-Life Vehicles in line with provisions under End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2024. Any violation of the provision(s) of the End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2024 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board

Date:

Place:

Form (3)

[see rule 9(10)]

[Annual returns to be submitted by Registered Vehicle Scrapping Facility of the following financial year]

1. Name of Registered Vehicle Scrapping Facility:
2. Registered address of Registered Vehicle Scrapping Facility, website address and contact details:
3. Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number:
4. Details of numbers of vehicles received and scrapped during the financial year of which the return is being filed:

SI No.	Type	No. of end-of-life vehicles received	No. of end-of-life vehicles scrapped	Total weight of the vehicles scrapped	Total weight of steel scrap generated
1	2W (Private)				
2	2W (Commercial)				
3	3W (Private)				
4	3W (Commercial)				
5	4W (Private)				
6	4W (Commercial)				

5. Details and number of Extended Producer Responsibility certificates generated:
6. Details of the recovered and recyclable/refurbishable materials sent to the registered recycler/refurbisher the financial year of which the return is being filed:

SI No.	Particulars	Quantity	Name(s) of registered recycler(s)/refurbisher(s)
1	Recovered waste tyres sent to the registered recyclers/refurbishers		
2	Recovered e-waste sent to the registered recyclers/refurbishers		
3	Recovered battery waste sent to the registered recyclers/refurbishers		
4	Recovered plastic waste sent to the registered recyclers/refurbishers		
5	Recovered used oil sent to the registered recyclers/refurbishers		
6	Other recovered materials		

7. Details of the hazardous and non-recyclable/non-refurbishable materials sent to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility during the financial year of which the return is being filed:

Particulars	Details with quantity	Name(s) of registered Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility
Recovered hazardous materials		

Place:

Date:

Signature of the authorised person

[F. No. 23/55/2021-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.